न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 121/2014

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. कानाराम पुत्र धनारामजी 2. रणछोड़राम पुत्र धनारामजी 3. मोडराम पुत्र धनारामजी 4. राणाराम पुत्र धनारामजी 5. लच्छाराम पुत्र धनारामजी 6. नगाराम पुत्र भलारामजी 7. हरचंदराम पुत्र भलारामजी 8. कोंकू पत्नि भलारामजी कौम कलबी चौधरी निवासी सिमालिया तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1. लूम्बाराम पुत्र खंगारराम कौम कलबी चौधरी निवासी सिमालिया तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 2. कमलादेवी पत्नि धुकारामजी जाति दर्जी निवासी सिमालिया तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः– 1. श्री चेलाराम कुमावत वकील वादीगण।
2. श्री इन्द्राकौर वकील प्रतिवादीगण।

निर्णय — दिनांक 09.07.2021

वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य यह वाद विचाराधीन है, उक्त वाद में उभय पक्षकारान के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उभय पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से गांव के मौजिज व्यक्तियों के द्वारा आपसी समझाईश राजीनामा हो गया है कि मौजा तिलवाडा पटवार हल्का तिलवाड़ा, भू–अभिलेख अधिकारी पचपदरा व खेत खसरा न0 109 रकबा 18–17 बीघा भूमि आयी हुई है उपरोक्त खसरे की भूमि में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता खंगाररामजी का व 1/2 हिस्सा धन्नारामजी के खातेदारी का था। खंगाररामजी का देहान्त हाने पर उनका 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व उसके सगे भाई पूनमाराम के खातेदारी में दर्ज किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 व पूनमाराम ने उपरोक्त खसरे की भूमि मे से अपना 1/2 हिस्सा रजिस्ट्रर्ड हक तर्कनामा दिनांक 20.06.1984 के जरिये धन्नाराम पुत्र मंगाराम को हस्तान्तरण कर दिया था । वादीगण द्वारा अपना हक हिस्सा हकतर्क करने के पश्चात उपरोक्त खसरे की भूमि में प्रतिवादी संख्या –1 कोई खातेदारी हक अवशेष नहीं रहे, न भूमि पर कब्जा रहा। तत्पश्चात् धन्नारामजी का देहान्त हो गया। हकतर्क नामा के आधार पर भूमि धन्नारामजी या उनके वारीसान वादीगण के नाम दर्ज नहीं की गयी। उपरोक्त खसरे की भूमि में पूनमाराम खतौनी में नाम दर्ज होने से हमने गलत सलाह के आधार पर अपना 1/4 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 को बैचान कर दिया लेकिन उक्त खसरे में बेचान करने योग्य कोई खातेदारी हक अवशेष नहीं थे। वादीगण द्वारा गलत [illegible] कर दिया गया। उक्त हकतर्कनामा के आधार पर पूनमाराम का 1/4 हिस्सा धन्नार[illegible] होकर वादीगण को प्राप्त हो चूका है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 को प्रतिवादी सं[illegible] कोई अधिकार नहीं था प्रति[illegible] संख्या 2 के हक मे हुआ बेचान वोइड एबइन्श्यों (शुरू से शून्य) [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 2 ने खरी[illegible] 1/4 हिस्सा वापस प्रतिवादी लूम्बाराम को हस्तान्तरण कर दिया है राजस्व खतौनी ने 1/4 हिस्सा द[illegible] वादग्रस्त भूमि में उसका कोई हक हिस्सा नहीं है प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना 1/4 हिस्सा वादीगण के वालिद धन्नाराम के हक हकतर्कनामा के जरिये हस्तान्तरण कर दिया था।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:33:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वादीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा हकतर्कनामा आधार पर वादीगण की खातेदारी को घोषित किया जावे। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लूम्बाराम को कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्षकारान व पक्षकारान वकील को सुना गया, राजीनामा प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया। जिसे सही होना स्वीकार किया जाकर बाद तस्दीक कर शामिल मिसल किया गया । वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादीगण के वाद को जरिये राजीनामा को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के द्वारा प्रार्थना–पत्र एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रस्तुत राजीनामा को स्वीकार कर मौजा तिलवाड़ा पटवार हल्का तिलवाड़ा, भू–अभिलेख अधिकारी पचपदरा व खेत खसरा न0 109 रकबा 18–17 बीघा भूमि में हकतर्कनामा की गई भूमि 1/4 हिस्सा के अनुसार खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 लूम्बाराम का नाम विलोपित किया जाकर सम्पूर्ण भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार **पचपदरा** उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। डिग्री पर्चा मुर्तिब हो।

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 09.07.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:33:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner